रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2017/श्रावण 31, 1939
No. 2395] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2017/SRAVANA 31, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2017

का.आ 2734(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की अधिसूचना सं.का.आ.1247(अ) तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

और, जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में 234.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान सघन मानव जनसंख्या से घिरा हुआ है। उद्यान कोछबेहर जिला में भूटान पहाड़ियों से लेकर तेराई सीमा तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र पारिस्थितिक भंगुर और पारिस्थितिक संवेदी है। उद्यान के बाहर के क्रियाकलाप/उद्योग उद्यान के निवास स्थान और पानी की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्रियाकलाप में कुछ नियमन का प्रयोग किया जाता है, तो शेष चरागाहों और प्रजातियों पर निर्भर रहने के लिए उन्हें जीवित रहने का बेहतर मौका मिलता है। मानव और पशुओं की बढ़ती जनसंख्या से राष्ट्रीय उद्यान के संसाधनों पर भारी दबाव डाला जा रहा है। क्षेत्र के प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि, चाय बागान, मवेशी चराई हैं और उद्यान प्रशासन ने पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ाकर और संयुक्त वन प्रबंधन के जरिए वन संसाधनों की निर्भरता कम करने की कोशिश की है;

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीवजन्तु की समृद्ध जैविक महत्ता इसकी विशेषता है। जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान में कुल 585 पहचाने गए पौधों की प्रजातियां शामिल हैं जिसमें 429 जीनस, 111 परिवारों में 91 घास प्रजातियां और 19 आर्किड प्रजातियां सम्मिलित है। क्षेत्र की वनस्पति में साल *(सोरेअ रोबुसता)*, चीलायनी

(सकीमा वाल्लीची), चीकरासी *(चुकरासीअ टेबुलारीस*), चैम्प *(मीचालीअ चामपका*), बहेरा *(टेरमीनालीआ बेलारीका),* सीधा *(लागेरट्रेरोइमीअ पारवीफलोरा),* पनीसाज *(टेरमीनालीआ मायरीओकारमा),* लमपाटी *(दुअबानगा सोन्नेराटीओडेस),* लाली *(अमौरा वाल्लीची),* लाहासुने *(अमौरा रोहीतुका),* कैनजल *(बीसस्कोफा जावानीका),* सीमुल *(बोमब्क्स कीबा),* खैर *(अकैशिआ कटेचु),* सीससू *(डालबैरिया सीससू*), सीरीस *(सीससू अलबिजिआ स्पा.)* हैं। जलदापाडा वन्यजीव अभयारण्य में बृहत पारिस्थितिक महत्व है क्योंकि यह नेपाल और असम के बाहर बृहत भारतीय एक-सींग वाले गैंडा के लिए जीन पूल आरक्षित बनाता है। जलदापाडा में मांसाहारी और शाकाहारी की 33 प्रजातियां हैं, लगभग पक्षियों की 246 प्रजातियां, सरीसृप की 29 प्रजातियां कछुए की 8 प्रजातियां, मछलियों की 54 प्रजातियां और अन्य सूक्ष्मजीवों की प्रजातियां जैसे गैंडा*(रीहीनोकेरोस यूनीकोरनीस),* हाथी (*ऐलीफस मैक्क्रीमुस*), तेंदुआ (*पैथैरा पारडूस*), गौर (*बौस गअरूस*), हॉग बेजर*(अरकटोनयक कोल्लारीस*), रीछ (*मेलुरसुस अरसीनुस), हिस्पिड खरगोश* (*कापरोलागुस हीसपीडूस*), बंगाल फ्लोरिक्न (*इयपोडोटीस बेनगालेनसीस*), पायथन *(पायथन रेटीकूलाटूस*), इंडियन साल (*मनीस करासीसीकायडाटा*) हैं;

और, जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य में जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान, की सीमा से 5 किलोमीटर के क्षेत्र को जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान, पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**-(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन के जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर शून्य (भूटान के निकटवर्ती उत्तरी भाग पर) से 5.0 किलोमीटर तक क्षेत्र 458 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इस जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची मुख्य बिन्दुओं के भू-निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उसकी सीमा के ब्यौरों और अक्षांश और देशांतर सहित **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पारिस्थितिक पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगर और शहर विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र के साथ विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं का विवरण संलग्न होगा ।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग–(क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा-लागू और संबंधित राज्य कानून तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार

के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और जो पैरा 4 के अधीन दी गई है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रकट होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन** –(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के

विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) जब तक आंचलिक महायोजना का अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है जब तक पर्यटन संबंधी विकास तथा विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मानीटरी समिति के वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा सिफारिश के आधार पर सम्बंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर कोई नया होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का ध्वनि प्रदूषण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, और उसमें किए गए संशोधनों के अधीन प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा।

(ख) पहचानी गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ठ का प्रबंधन सुरक्षित पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत जैव के सुरक्षित और पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन चिकित्सा अपशिष्टों- की पहचान की गई तकनीकों के उपयोग की विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप अनुमति दी (ईएसएम) जाएगी।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय संचालन आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- केवल अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर ऐसे क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) अवक्षयण की एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण)

अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल वायु मृदा ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए उद्योग और उद्योगों में विद्यमान प्रदूषण का विस्तार अनुज्ञा नहीं होगी। फरवरी, 2016 में जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषण कुटीर उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	फर्मों, कंपनियों, द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे अन्यथा नहीं।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
8.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
12.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी भी नए वाणिज्यिक होटल एवं रिसोर्टों को ही अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं ।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे ।

		(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि उद्यान, जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से बने उत्पादों का उत्पादन करते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
17.	प्रवासी चरवाहे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों का बिछाए जाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
19.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ विनियमित किए जाएंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ान जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि जल कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	प्राकृतिक जल निकायों / सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के

		पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे और उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्रावों का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआ, बोर कुआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या पर्यावास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	उपायुक्त, अलीपुरद्वार	अध्यक्ष;
(ii)	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र से तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वाले गैर-सरकारी संगठनों का (पर्यावरण, जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण है, के क्षेत्र में कार्य करने वाले) तीन वर्ष की अवधि के	सदस्य;

	लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	
(iv)	कार्यपालक इंजीनियर, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	प्रभागीय वन अधिकारी (बक्सा बाघ आरक्षिती)	सदस्य;
(vi)	प्रभागीय वन अधिकारी (जलदापाडा)	सदस्य;
(vii)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव	सदस्य;
(viii)	मुख्य वन परिरक्षक	सदस्य सचिव।

6. निर्देश - निबंधनः (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा.सं. 25/175/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा वर्णन

उत्तर: भूटान द्वारा घिरा हुआ

दक्षिण: कोचबेहर जिला

पूर्व: बक्सा बाघ आरक्षिती

पश्चिम: दुमची आरएफ और खाइरबारी आरएफ

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ चारो दिशाओं के भू- निर्देशांक

पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के निर्देशांक जलदपाडा राष्ट्रीय उद्यान							
1	26°47'6.02"उ 89°11'57.04"पू	18	26°33'48.16"उ 89°12'7.80"पू	35	26°35'8.10"उ 89°27'31.24"पू	52	26°44'45.52"उ 89°22'38.13"पू
2	26°44'57.33"उ 89°12'45.05"पू	19	26°32'54.50"उ 89°12'9.28"पू	36	26°36'21.04"उ 89°26'42.25"पू	53	26°47'6.55"उ 89°22'29.62"पू
3	26°43'16.42"उ 89°13'41.23"पू	20	26°31'47.61"उ 89°12'11.93"पू	37	26°36'22.81"उ 89°23'47.85"पू	54	26°47'57.69"उ 89°23'36.19"पू
4	26°43'23.71"उ 89°11'39.75"पू	21	26°30'42.09"उ 89°12'13.78"पू	38	26°37'31.76"उ 89°23'55.72"पू	55	26°48'24.56"उ 89°24'26.68"पू
5	26°41'58.47"उ 89°11'45.01"पू	22	26°30'15.75"उ 89°13'56.16"पू	39	26°38'21.56"उ 89°23'18.83"पू	56	26°48'49.13"उ 89°25'7.76"पू
6	26°41'10.20"उ 89°12'40.26"पू	23	26°29'49.10"उ 89°14'45.89"पू	40	26°39'29.01"उ 89°23'14.25"पू		
7	26°41'10.66"उ 89°13'42.65"पू	24	26°29'41.51"उ 89°16'6.87"पू	41	26°40'3.20"उ 89°23'6.33"पूपू		
8	26°40'1.63"उ 89°13'35.94"पू	25	26°29'37.81"उ 89°17'44.98"पू	42	26°40'5.68"उ 89°23'30.12"पू		
9	26°38'37.07"उ 89°13'33.04"पू	26	26°29'17.53"उ 89°18'29.02"पू	43	26°40'32.31"उ 89°23'21.50"पू		
10	26°38'22.00"उ 89°13'6.91"पू	27	26°29'35.27"उ 89°19'19.50"पू	44	26°40'51.13"उ 89°23'26.61"पू		
11	26°38'22.00"उ 89°13'6.91"पू	28	26°29'55.69"उ 89°19'37.45"पू	45	26°41'11.40"उ 89°23'12.87"पू		
12	26°36'25.36"उ 89°12'27.43"पू	29	26°29'45.42"उ 89°20'14.43"पू	46	26°41'33.87"उ 89°23'18.58"पू		
13	26°36'10.54"उ 89°11'51.05"पू	30	26°30'47.28"उ 89°21'38.50"पू	47	26°41'50.96"उ 89°22'51.26"पू		
14	26°35'49.65"उ 89°11'57.96"पू	31	26°31'27.64"उ 89°22'37.07"पू	48	26°42'21.15"उ 89°23'14.16"पू		
15	26°35'32.08"उ 89°11'33.65"पू	32	26°31'30.43"उ 89°25'53.74"पू	49	26°42'21.15"उ 89°23'17.99"पू		
16	26°35'14.71"उ 89°11'54.19"पू	33	26°31'32.62"उ 89°27'23.92"पू	50	26°43'3.92"उ 89°23'13.05"पू		
17	26°34'24.84"उ 89°11'57.25"पू	34	26°34'5.46"उ 89°27'22.70"पू	51	26°43'26.66"उ 89°22'38.65"पू		

राष्ट्रीय उद्यान सीमा के जी.पी.एस भू-निर्देशांक	पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा पर जी.पी.एस भू-निर्देशांक
(1) 89°15'34.137"पू 26°47'38.446"उ	(i) 89°12'32.718" पू 26°47'38.029" उ
(2) 89°21'28.191" पू 26°49'36.289" उ	(ii) 89°24'28.174" पू 26°48'54.056" उ
(3) 89°21'16.559" पू 26°36'47.391" उ	(iii) 89°23'51.799" पू 26°39'15.756" उ
(4) 89°20'57.539" पू 26°32'1.624" उ	(iv) 89°22'24.619" पू 26°29'34.001" उ
(5) 89°20'57.539" पू 26°32'1.624" उ	(v) 89°17'43.614" पू 26°28'59.964" उ
(6) 89°15'14.084" पू 26°33'34.373" उ	(vi) 89°12'11.853" पू 26°33'26.956" उ
(7) 89°17'52.843" पू 26°44'7.654" उ	(vii) 89°14'16.01" पू 26°42'32.729" उ

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची							
हाथी गलियार को छोडकर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 5 कि.मी के अंतर्गत							
जलदपाडा राष्ट्रीय उद्यान							
क्र.सं.	**ग्रामों के नाम**	**जे. एल सं**	**क्षेत्र हेक्टेयर में**	**पुलिस स्टेशन**	**जनसंख्या**	**क्रियाकलाप**	**निर्देशांक**
1	बल्लालगुरी	*34*	175.00	मदरीहट	1849	कृषि	26°46'41.46"उ 89°17'53.42"पू
2	बनशीधरपुर	*62*	436.07	फलाकाटा	2247	कृषि	26°31'40.22"उ 89°15'49.11"पू
3	बिच टी.जी	*21*	659.09	मदरीहट	6959	चाय कारखाना	26°45'24.63"उ 89°20'41.05"पू
4	दक्षिण मदरीहट	*49*	327.93	मदरीहट	2229	चाय कारखाना	26°39'38.93"उ 89°15'28.82"पू
5	दलसींगपारा	*23*	1504.16	जयगांव	11721	चाय कारखाना	26°47'10.82"उ 89°21'33.05"पू
6	गरगना टी.जी.	*9*	766.48	मदरीहट	6000	चाय कारखाना	26°46'7.66"उ 89°14'0.00"पू
7	गोपानोहोन टी.जी.	*26*	74.00	जयगांव	781	चाय कारखाना	26°50'11.10"उ 89°22'36.83"पू
8	हानदापारा टी.जी.	*28*	1230.09	मदरीहट	12500	चाय कारखाना	26°44'48.74"उ 89°15'11.58"पू
9	जालदापाडा	*10*	448.74	अलीपुरधुर	1037	कृषि	26°37'21.59"उ 89°18'11.27"पू
10	जोगीनद्राननगर	*5*	1352.87	अलीपुरधुर	2724	होटल	26°32'19.27"उ 89°17'20.00"पू
11	कादामबिनी टी.जी.	*61*	722.04	फलाकाटा	3615	चाय कारखाना	26°32'6.59"उ 89°14'23.25"पू
12	कालाबेरिया	*6*	472.45	अलीपुरधुर	3827	कृषि	26°33'7.86"उ 89°17'35.10"पू
13	कउचंदपारा	*54*	2885.05	फलाकाटा	4268	फर्नीचर	26°37'23.40"उ 89°15'54.57"पू

14	कुमारपारा	*24*	460.94	अलीपुरधुर	1823	कृषि	26°32'2.61"उ 89°22'52.30"पू
15	कुंजानगर	*58*	622.76	फलाकाटा	4004	होटल	26°33'27.59"उ 89°14'18.86"पू
16	लचमनदाबरी	*57*	1258.61	फलाकाटा	4228	कृषि	26°35'6.50"उ 89°14'54.30"पू
17	लंकापारा टी.जी.	*30*	1275.70	बिरपारा	7895	चाय कारखाना	26°47'35.50"उ 89°13'46.60"पू
18	मध्य मदारीहट	*47*	344.61	मदरीहट	2894	शाखा – भवन, डोलामाइट	26°40'47.76"उ 89°16'1.80"पू
19	मध्य सतली	*5,6*	553.07	जयगांव	809	होटल	26°41'21.29"उ 89°21'7.39"पू
20	मालनगी टी.जी.	*20*	12257.78	जयगांव	32599	चाय कारखाना	26°42'44.41"उ 89°22'56.02"पू
21	मीचाई बस्ती	*25*	382.29	जयगांव	4036	कृषि	26°49'42.97"उ 89°21'51.15"पू
22	मजीबिल	*3*	1119.16	अलीपुरधुर	4166	आरा मील	26°31'10.25"उ 89°17'17.04"पू
23	मुनसीपारा	*8*	754.60	अलीपुरधुर	5626	कृषि	26°35'27.00"उ 89°18'26.97"पू
24	पश्चिमी सताली	*6*	459.97	जयगांव	1301	होटल	26°40'25.20"उ 89°21'39.87"पू
25	पश्चिमी सीमलापारा	*22*	137.33	अलीपुरधुर	754	कृषि	26°32'18.56"उ 89°21'8.50"पू
26	प्रधानपारा	*9*	1075.95	अलीपुरधुर	2979	कृषि	26°36'33.01"उ 89°17'54.77"पू
27	पुरबा खेरबरी	*36*	608.48	मदरीहट	1843	होटल और शाखा – भवन	26°42'57.95"उ 89°16'52.81"पू
28	सलकुमार	*7*	549.43	अलीपुरधुर	5434	कृषि	26°34'27.87"उ 89°17'53.20"पू
29	सिबनाथपुर	*56*	878.84	फलाकाटा	4342	कृषि	26°36'10.38"उ 89°15'30.93"पू
30	सीधाबरी	*13*	625.38	अलीपुरधुर	3941	कृषि	26°34'59.44"उ 89°19'44.97"पू
31	सिरूबारी	*16*	282.21	अलीपुरधुर	2035	कृषि	26°31'57.79"उ 89°18'52.08"पू
32	साउदामीनी पश्चिमी टी.जी	*4*	480.00	जयगांव	5068	चाय कारखाना	26°42'6.45"उ 89°20'7.47"पू
33	सुरीपारा	*14*	392.94	अलीपुरधुर	3417	कृषि	26°33'35.00"उ

							89°19'45.43"पू
34	टोटापारा	*33*	797.00	मदरीहट	2929	कृषि	26°49'40.59"उ 89°18'39.21"पू
35	उमचरणपारा	*53*	543.19	फलाकाटा	3208	होटल , फर्नीचर	26°38'31.32"उ 89°15'5.41"पू
36	उत्तर चाकोआखेती	*36*	450.00	अलीपुरधुर	1251	कृषि	26°32'37.98"उ 89°24'28.76"पू
37	उत्तर खैरबरी	*37*	205.61	मदरीहट	1231	होटल एवं लॉज	26°43'25.88"उ 89°16'32.17"पू
38	उत्तर मादारीहट	*46*	1061.78	मदरीहट	8699	होटल एवं लॉज, आरा मिल	26°41'58.04"उ 89°16'26.77"पू
39	उत्तर पटकापारा	*38*	509.10	अलीपुरधुर	2716	चाय कारखाना	26°34'15.97"उ 89°25'40.61"पू
40	उत्तर सिमलाबारी	*23*	116.10	अलीपुरधुर	1287	कृषि	26°32'30.23"उ 89°22'3.39"पू
41	छोटो जयोगॉव	*28*	45	जयगांव	475	कृषि	26°49'27.18"उ 89°24'52.74"पू
42	भरनोबरी टी.जी	*22*	673	जयगांव	7106	चाय कारखाना	26°44'56.17"उ 89°22'14.00"पू
43	पर मालानगी	*2*	83.2	जयगांव	878	कृषि	26°41'29.44"उ 89°19'54.75"पू
44	दक्षिण सतली	*7*	256	कलचिनी	2703	कृषि	26°39'35.43"उ 89°23'4.31"पू
45	दक्षिण मदेनाबरी	*10*	187	कलचिनी	1974	कृषि	26°34'59.21"उ 89°24'54.15"पू
46	नीमती दोमोहोनी	*12*	617.47	कलचिनी	6520	कृषि	26°35'55.84"उ 89°25'56.63"पू
47	नीमती झोरा टी.जी	*11*	322	कलचिनी	3400	चाय कारखाना	26°35'5.55"उ 89°25'55.04"पू
48	मध्य पटेकापारा	*37*	230	अलीपुरधुर	2428	कृषि	26°32'43.13"उ 89°25'24.56"पू
49	पूरबा सीलमाबरी	*21*	250	अलीपुरधुर	2640	कृषि	26°31'43.14"उ 89°21'41.83"पू
50	पटलाखावा	*18*	553	अलीपुरधुर	5839	कृषि	26°31'9.61"उ 89°20'27.53"पू
51	पुरबा कथलीबरी	*17*	823	अलीपुरधुर	8690	कृषि	26°30'53.00"उ 89°18'31.58"पू
52	नतूनपारा	*11*	387	अलीपुरधुर	4086	कृषि	26°36'46.02"उ 89°18'53.01"पू
53	पर पटलाखावा	*2*	75.4	अलीपुरधुर	796	कृषि	26°31'1.20"उ

							89°16'13.01"पू
54	मेरादानग	*49*	654	फलाकाटा	6906	कृषि	26°34'37.70"उ 89°13'26.46"पू
55	बादार्तरी	*55*	342	फलाकाटा	3611	कृषि	26°37'10.16"उ 89°14'48.54"पू
56	पुरबा मेदानाबरी	*50*	165	मदरीहट	1742	कृषि	26°39'28.47"उ 89°16'9.96"पू
57	मध्य चेकामरी	*44*	231	मदरीहट	2439	कृषि	26°41'30.95"उ 89°14'38.24"पू
58	उत्तर रंगलबजना	*40*	145	मदरीहट	1531	कृषि	26°42'6.07"उ 89°13'30.45"पू
59	मध्य खैरबरी	*38*	473	मदरीहट	4994	कृषि	26°42'53.17"उ 89°15'45.75"पू
60	मुजनाई टी.जी	*39*	559	मदरीहट	5903	चाय कारखाना	26°43'19.43"उ 89°14'35.15"पू
61	लंकामारा हट	*31*	21.4	मदरीहट	225	कृषि	26°47'57.31"उ 89°14'27.02"पू

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ जलदापाडा राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

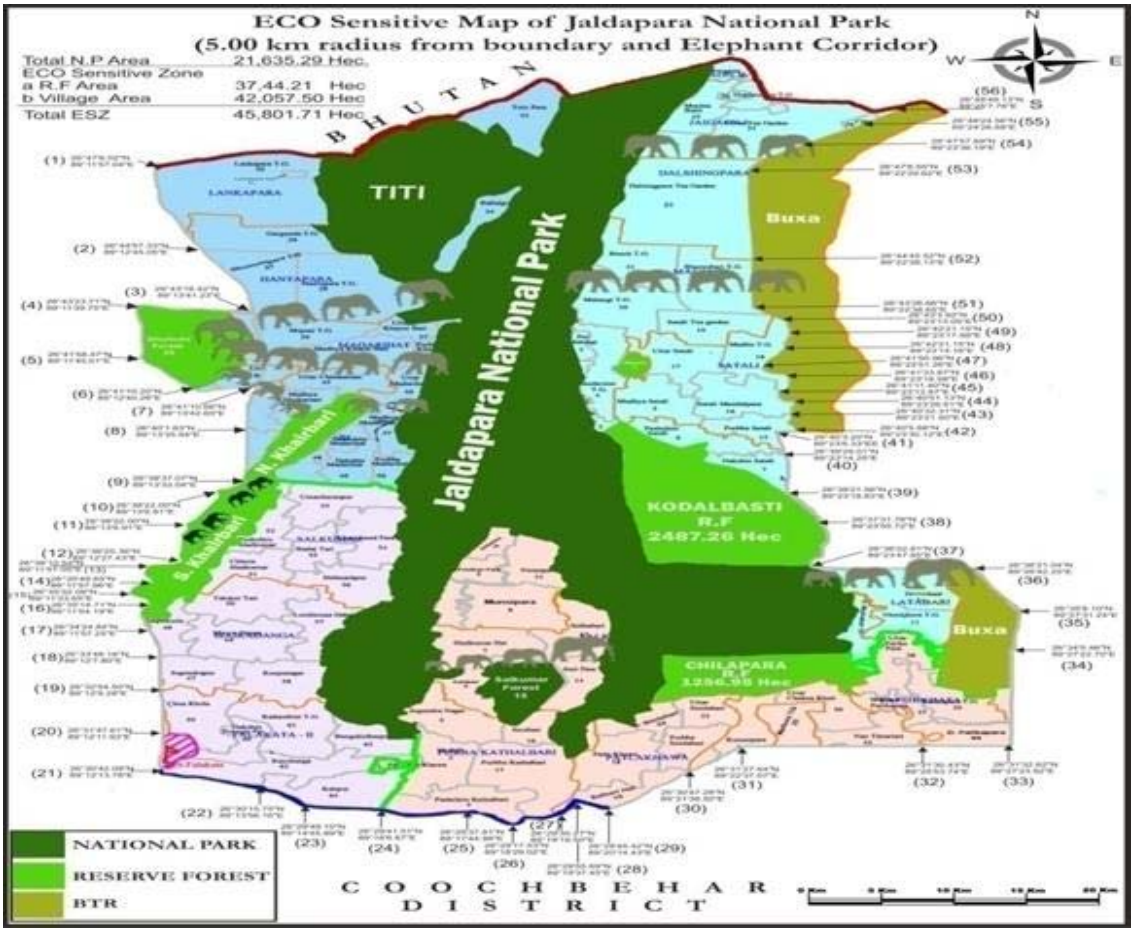

Jaldapara NP & ESZ on Google Map and Satellite Image

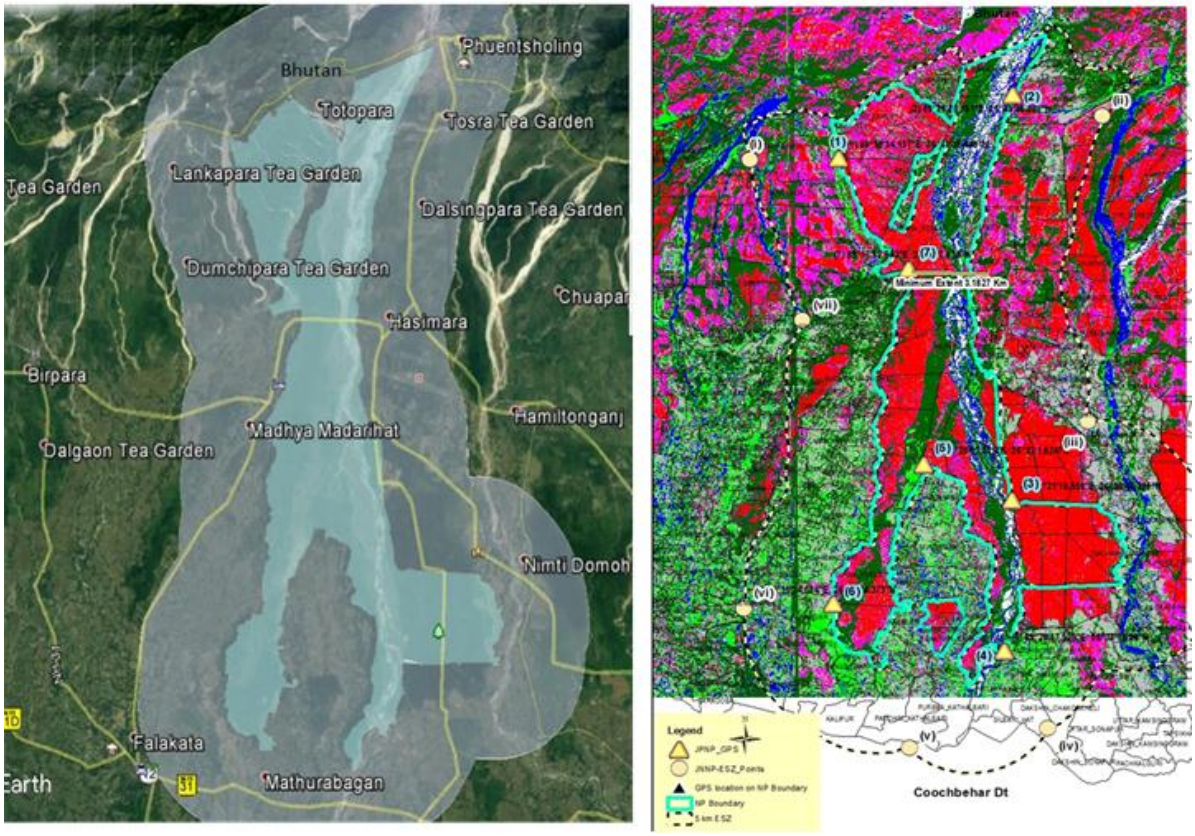

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2017

S.O. 2734(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1247(E), dated the 29th March, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Jaldapara National Park located in Alipurduar District, in the state of West Bengal is spread over an area of 234.51 square kilometres. The National Park is surrounded by dense human population. The Park extends from Bhutan Hills to the Terai bordering Coochbehar district. The area is eco fragile and eco sensitive. The activities/ industries outside the park influence the habitat and water regime of the park. The remaining grassland and species dependent upon them have a better chance of survival if some regulation is exercised on the activities in the vicinity of Jaldapara National Park. The ever increasing population of human beings and cattle are putting enormous pressure on resources of the said National park. Agriculture, Tea Plantation, cattle grazing are major economic activities of the region and the Park administration has tried to reduce the dependence of forest resources by increasing Eco-tourism and by way of Joint Forest Management;

AND WHEREAS, the flora and fauna represent rich biological significance of this Sanctuary. The Jaldapara National Park contains a total 585 Nos. of identified plants species which belongs to 429 genus, 111 families including 91 grass species and 19 orchid species. The flora area Sal (*Shorea robusta*). Chilauni (*Schima wallichi*), Chikrasi (*Chukrasia tabularis*), Champ (*Michelia champaca*), Bahera (*Terminalia belerica*), Sidha (*Lagerstroemia parviflora*), Panisaj (*Terminalia myriocarpa*), Lampati *(Duabanga sonneratioides*), Lali *(Amoora wallichi*), Lahasune (*Amoora rohituka*), Kainjal (*Bischofia javanica*), Simul (*Bombax ciba*), Khair (*Acacia catechu*), Sissoo (*Dalbergia sissoo*) Siris (*Albizzia spp*).The

Jaldapara Wildlife Sanctuary has great ecological significance as it forms the gene pool reserve for the great Indian one-horned Rhinoceros outside Nepal and Assam. Jaldapara has 33 species of carnivores and herbivores, approximately 246 species of birds, 29 species of reptiles, 8 species of turtles, 54 species of fishes and a host of other microfauna Rhinoceros (*Rhinoceros unicornis*), Elephant (*Elephas maximus*), Leopard (*Panthera pardus*) Gaur (*Bos gaurus*), Hog badger (*Arctonyx collaris*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Hispid hare (*Caprolagus hispidus*), Bengal florican (*Eupodotis bengalensis*), Python (*Python reticulatus*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*) ;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Jaldapara National Park as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent upto five kilometres around the boundary of the Jaldapara National Park in the State of West Bengal as the Jaldapara National Park Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 458 square kilometres with an extent zero (on the Northern side due to adjacent to Bhutan) to 5.0 kilo meters around the Jaldapara National Park and the boundary description of the said Zone is appended as **Annexure-I.**

(2) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone alongwith co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-II.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal & urban development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Jaldapara National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 framed under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and the efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone(CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
11.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per the building bye-laws to meet the residential needs of the local residents such as - (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by the Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and

		regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
22.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
28.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

Deputy Commissioner, Alipurduar —Chairman;

(i) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the —Member;

Government of West Bengal for a period of three years

(ii) One representatives of Non-governmental Organisation —Member;
(working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of West Bengal for a period of three years

(iv) Executive Engineer, West Bengal Pollution Control Board —Member;

(v) Divisional Forest Officer (Buxa Tiger Reserve) —Member;

(vi) Divisional Forest Officer (Jaldapara) —Member;

(vii) Member, State Biodiversity Board —Member;

(viii) Chief Conservator of Forests —Member-Secretary.

6. Terms of Reference: (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collectoror the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/175/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Eco-sensitive Zone Boundary Description

North: Bounded by Bhutan
South: Coochbehar district
East: Buxa Tiger Reserve
West: Dumchi RF and Khairbari RF

Geo-coordinates at Four Corners along Boundary of Eco-sensitive Zone

Coordinates of Boundary Eco-sensitive Zone **Jaldapara National Park**							
1	26°47'6.02"N 89°11'57.04"E	18	26°33'48.16"N 89°12'7.80"E	35	26°35'8.10"N 89°27'31.24"E	52	26°44'45.52"N 89°22'38.13"E
2	26°44'57.33"N 89°12'45.05"E	19	26°32'54.50"N 89°12'9.28"E	36	26°36'21.04"N 89°26'42.25"E	53	26°47'6.55"N 89°22'29.62"E
3	26°43'16.42"N 89°13'41.23"E	20	26°31'47.61"N 89°12'11.93"E	37	26°36'22.81"N 89°23'47.85"E	54	26°47'57.69"N 89°23'36.19"E
4	26°43'23.71"N 89°11'39.75"E	21	26°30'42.09"N 89°12'13.78"E	38	26°37'31.76"N 89°23'55.72"E	55	26°48'24.56"N 89°24'26.68"E
5	26°41'58.47"N 89°11'45.01"E	22	26°30'15.75"N 89°13'56.16"E	39	26°38'21.56"N 89°23'18.83"E	56	26°48'49.13"N 89°25'7.76"E
6	26°41'10.20"N 89°12'40.26"E	23	26°29'49.10"N 89°14'45.89"E	40	26°39'29.01"N 89°23'14.25"E		
7	26°41'10.66"N 89°13'42.65"E	24	26°29'41.51"N 89°16'6.87"E	41	26°40'3.20"N 89°23'6.33"EE		
8	26°40'1.63"N 89°13'35.94"E	25	26°29'37.81"N 89°17'44.98"E	42	26°40'5.68"N 89°23'30.12"E		
9	26°38'37.07"N 89°13'33.04"E	26	26°29'17.53"N 89°18'29.02"E	43	26°40'32.31"N 89°23'21.50"E		
10	26°38'22.00"N 89°13'6.91"E	27	26°29'35.27"N 89°19'19.50"E	44	26°40'51.13"N 89°23'26.61"E		
11	26°38'22.00"N 89°13'6.91"E	28	26°29'55.69"N 89°19'37.45"E	45	26°41'11.40"N 89°23'12.87"E		
12	26°36'25.36"N 89°12'27.43"E	29	26°29'45.42"N 89°20'14.43"E	46	26°41'33.87"N 89°23'18.58"E		
13	26°36'10.54"N 89°11'51.05"E	30	26°30'47.28"N 89°21'38.50"E	47	26°41'50.96"N 89°22'51.26"E		
14	26°35'49.65"N 89°11'57.96"E	31	26°31'27.64"N 89°22'37.07"E	48	26°42'21.15"N 89°23'14.16"E		
15	26°35'32.08"N 89°11'33.65"E	32	26°31'30.43"N 89°25'53.74"E	49	26°42'21.15"N 89°23'17.99"E		
16	26°35'14.71"N 89°11'54.19"E	33	26°31'32.62"N 89°27'23.92"E	50	26°43'3.92"N 89°23'13.05"E		
17	26°34'24.84"N 89°11'57.25"E	34	26°34'5.46"N 89°27'22.70"E	51	26°43'26.66"N 89°22'38.65"E		

GPS Co-ordinates on NP Boundary	GPS Co-ordinates on ESZ Boundary
(1) 89°15'34.137"E 26°47'38.446"N	(i) 89°12'32.718"E 26°47'38.029"N
(2) 89°21'28.191"E 26°49'36.289"N	(ii) 89°24'28.174"E 26°48'54.056"N
(3) 89°21'16.559"E 26°36'47.391"N	(iii) 89°23'51.799"E 26°39'15.756"N
(4) 89°20'57.539"E 26°32'1.624"N	(iv) 89°22'24.619"E 26°29'34.001"N
(5) 89°20'57.539"E 26°32'1.624"N	(v) 89°17'43.614"E 26°28'59.964"N
(6) 89°15'14.084"E 26°33'34.373"N	(vi) 89°12'11.853"E 26°33'26.956"N
(7) 89°17'52.843"E 26°44'7.654"N	(vii) 89°14'16.01"E 26°42'32.729"N

ANNEXURE-II

List of Village in Eco Sensitive Zone
Within 5 km. from the boundary of National Park except Elephant corridor
Jaldapara National Park

SL. No	Village Name	JL No	Area in Hec.	Police Station	Population	Activity	Coordinates
1	Ballalguri	*34*	175.00	Madarihat	1849	Agriculture	26°46'41.46"N 89°17'53.42"E
2	Banshidharpur	*62*	436.07	Falakata	2247	Agriculture	26°31'40.22"N 89°15'49.11"E
3	Beech T.G.	*21*	659.09	Madarihat	6959	Tea Factory	26°45'24.63"N 89°20'41.05"E
4	Dakshin Madarihat	*49*	327.93	Madarihat	2229	Tea Factory	26°39'38.93"N 89°15'28.82"E
5	Dalsingpara T.G.	*23*	1504.16	Jaigaon	11721	Tea Factory	26°47'10.82"N 89°21'33.05"E
6	Garganda T.G.	*9*	766.48	Madarihat	6000	Tea Factory	26°46'7.66"N 89°14'0.00"E
7	Gopimohon T.G.	*26*	74.00	Jaigaon	781	Tea Factory	26°50'11.10"N 89°22'36.83"E
8	Hantapara T.G.	*28*	1230.09	Madarihat	12500	Tea Factory	26°44'48.74"N 89°15'11.58"E
9	Jaldapara	*10*	448.74	Alipurduar	1037	Agriculture	26°37'21.59"N 89°18'11.27"E
10	Jogendranagar	*5*	1352.87	Alipurduar	2724	Hotel	26°32'19.27"N 89°17'20.00"E
11	Kadambini T.G.	*61*	722.04	Falakata	3615	Tea Factory	26°32'6.59"N 89°14'23.25"E
12	Kalaberia	*6*	472.45	Alipurduar	3827	Agriculture	26°33'7.86"N 89°17'35.10"E
13	Khauchandpara	*54*	2885.05	Falakata	4268	Furniture	26°37'23.40"N 89°15'54.57"E
14	Kumarpara	*24*	460.94	Alipurduar	1823	Agriculture	26°32'2.61"N 89°22'52.30"E
15	Kunjanagar	*58*	622.76	Falakata	4004	Hotel	26°33'27.59"N 89°14'18.86"E
16	Lachmandabri	*57*	1258.61	Falakata	4228	Agriculture	26°35'6.50"N 89°14'54.30"E
17	Lankapara T.G.	*30*	1275.70	Birpara	7895	Tea Factory	26°47'35.50"N 89°13'46.60"E
18	Madhya Madarihat	*47*	344.61	Madarihat	2894	Lodge, Dolomite Factory, Furniture	26°40'47.76"N 89°16'1.80"E
19	Madhya Satali	*5,6*	553.07	Jaigaon	809	Hotel	26°41'21.29"N 89°21'7.39"E
20	Malangi T.G.	*20*	12257.78	Jaigaon	32599	Tea Factory	26°42'44.41"N 89°22'56.02"E
21	Mechia Basti	*25*	382.29	Jaigaon	4036	Agriculture	26°49'42.97"N 89°21'51.15"E

22	Mejbill	*3*	1119.16	Alipurduar	4166	Saw Mill	26°31'10.25"N 89°17'17.04"E
23	Munsipara	*8*	754.60	Alipurduar	5626	Agriculture	26°35'27.00"N 89°18'26.97"E
24	Paschim Satali	*6*	459.97	Jaigaon	1301	Hotel	26°40'25.20"N 89°21'39.87"E
25	Paschim simlabari	*22*	137.33	Alipurduar	754	Agriculture	26°32'18.56"N 89°21'8.50"E
26	Pradhanpara	*9*	1075.95	Alipurduar	2979	Agriculture	26°36'33.01"N 89°17'54.77"E
27	Purba Khairbari	*36*	608.48	Madarihat	1843	Hotel & Lodge	26°42'57.95"N 89°16'52.81"E
28	Salkumar	*7*	549.43	Alipurduar	5434	Agriculture	26°34'27.87"N 89°17'53.20"E
29	Sibnathpur	*56*	878.84	Falakata	4342	Agriculture	26°36'10.38"N 89°15'30.93"E
30	Sidhabari	*13*	625.38	Alipurduar	3941	Agriculture	26°34'59.44"N 89°19'44.97"E
31	sirubari	*16*	282.21	Alipurduar	2035	Agriculture	26°31'57.79"N 89°18'52.08"E
32	Soudamini T.G	*4*	480.00	Jaigaon	5068	Tea Factory	26°42'6.45"N 89°20'7.47"E
33	Suripara	*14*	392.94	Alipurduar	3417	Agriculture	26°33'35.00"N 89°19'45.43"E
34	Totopara	*33*	797.00	Madarihat	2929	Agriculture	26°49'40.59"N 89°18'39.21"E
35	Umacharanpur	*53*	543.19	Falakata	3208	Hotel, Furniture	26°38'31.32"N 89°15'5.41"E
36	Uttar Chakoakheti	*36*	450.00	Alipurduar	1251	Agriculture	26°32'37.98"N 89°24'28.76"E
37	Uttar Khairbari	*37*	205.61	Madarihat	1231	Hotel & Lodge	26°43'25.88"N 89°16'32.17"E
38	Uttar Madarihat	*46*	1061.78	Madarihat	8699	Hotel & Lodge, Saw Mill	26°41'58.04"N 89°16'26.77"E
39	Uttar Patkapara	*38*	509.10	Alipurduar	2716	Tea Factory	26°34'15.97"N 89°25'40.61"E
40	Uttar simlabari	*23*	116.10	Alipurduar	1287	Agriculture	26°32'30.23"N 89°22'3.39"E
41	Choto Joygaon	*28*	45	Jaigaon	475	Agriculture	26°49'27.18"N 89°24'52.74"E
42	Bharnobari T.g	*22*	673	Jaigaon	7106	Tea Factory	26°44'56.17"N 89°22'14.00"E
43	Par Malangi	*2*	83.2	Jaigaon	878	Agriculture	26°41'29.44"N 89°19'54.75"E
44	Dakshin Satali	*7*	256	Kalchini	2703	Agriculture	26°39'35.43"N 89°23'4.31"E
45	Dakshin Mednabari	*10*	187	Kalchini	1974	Agriculture	26°34'59.21"N 89°24'54.15"E
46	Nimti Domohoni	*12*	617.47	Kalchini	6520	Agriculture	26°35'55.84"N 89°25'56.63"E
47	Nimti Jhora T.G	*11*	322	Kalchini	3400	Tea Factory	26°35'5.55"N 89°25'55.04"E
48	Madhya Paitkapara	*37*	230	Alipurduar	2428	Agriculture	26°32'43.13"N 89°25'24.56"E
49	Purba Simlabari	*21*	250	Alipurduar	2640	Agriculture	26°31'43.14"N 89°21'41.83"E
50	Patlakhawa	*18*	553	Alipurduar	5839	Agriculture	26°31'9.61"N 89°20'27.53"E
51	Purba Kathalbari	*17*	823	Alipurduar	8690	Agriculture	26°30'53.00"N 89°18'31.58"E
52	Natunpara	*11*	387	Alipurduar	4086	Agriculture	26°36'46.02"N 89°18'53.01"E
53	Par Patlakhawa	*2*	75.4	Alipurduar	796	Agriculture	26°31'1.20"N 89°16'13.01"E
54	Mairadanga	*49*	654	Falakata	6906	Agriculture	26°34'37.70"N 89°13'26.46"E
55	Badaitari	*55*	342	Falakata	3611	Agriculture	26°37'10.16"N

							89°14'48.54"E
56	Purba Madarihat	*50*	165	Madarihat	1742	Agriculture	26°39'28.47"N 89°16'9.96"E
57	Madhya Chekamari	*44*	231	Madarihat	2439	Agriculture	26°41'30.95"N 89°14'38.24"E
58	Uttar Rangalibazna	*40*	145	Madarihat	1531	Agriculture	26°42'6.07"N 89°13'30.45"E
59	Madhya Khairbari	*38*	473	Madarihat	4994	Agriculture	26°42'53.17"N 89°15'45.75"E
60	Mujnai T.G	*39*	559	Madarihat	5903	Tea Factory	26°43'19.43"N 89°14'35.15"E
61	Lankapara Hat	*31*	21.4	Madarihat	225	Agriculture	26°47'57.31"N 89°14'27.02"E

ANNEXURE-III

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JALDAPARA NATIONAL PARK WITH LATITUDES AND LONGITUDES

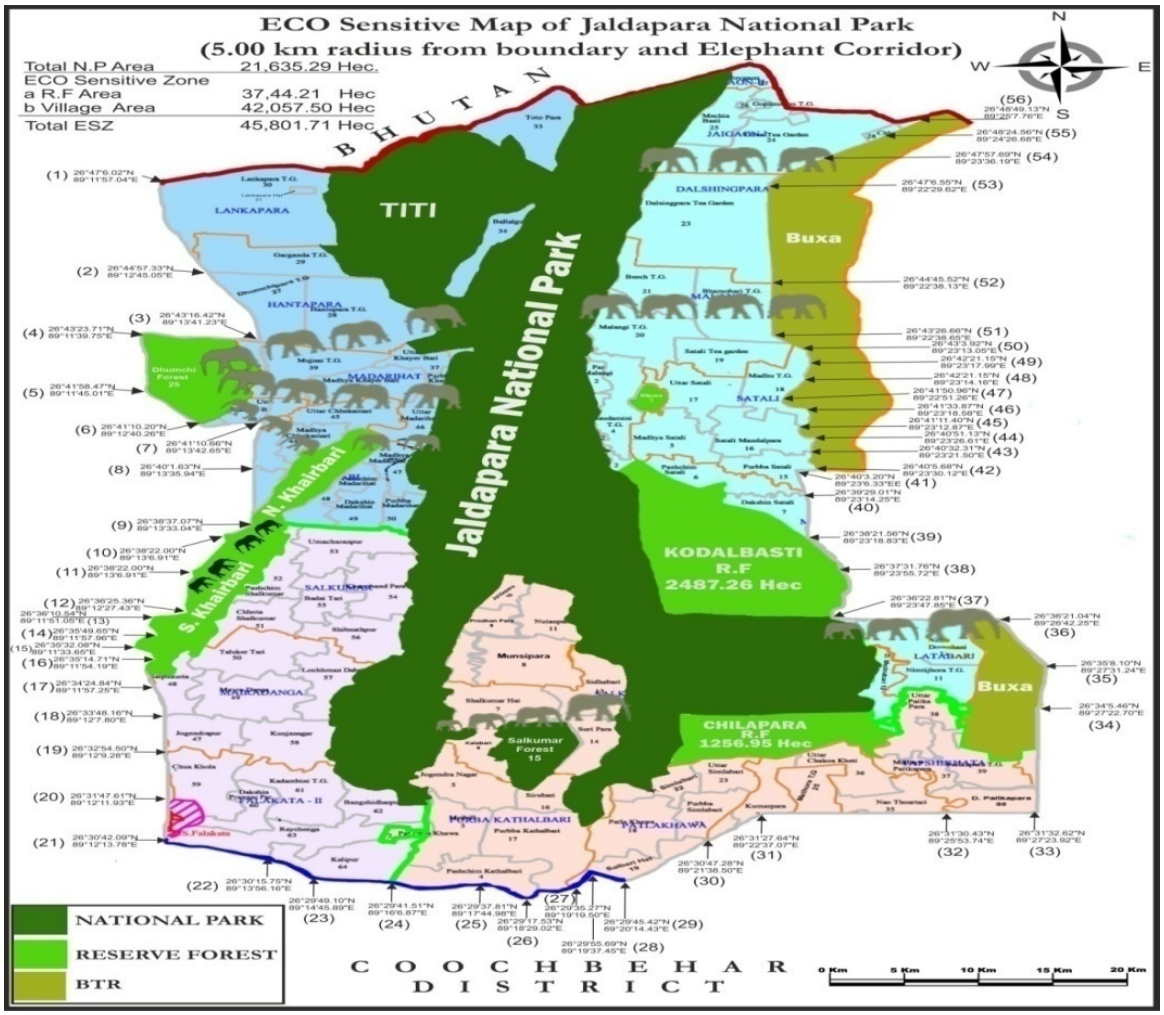

Jaldapara NP & ESZ on Google Map and Satellite Image

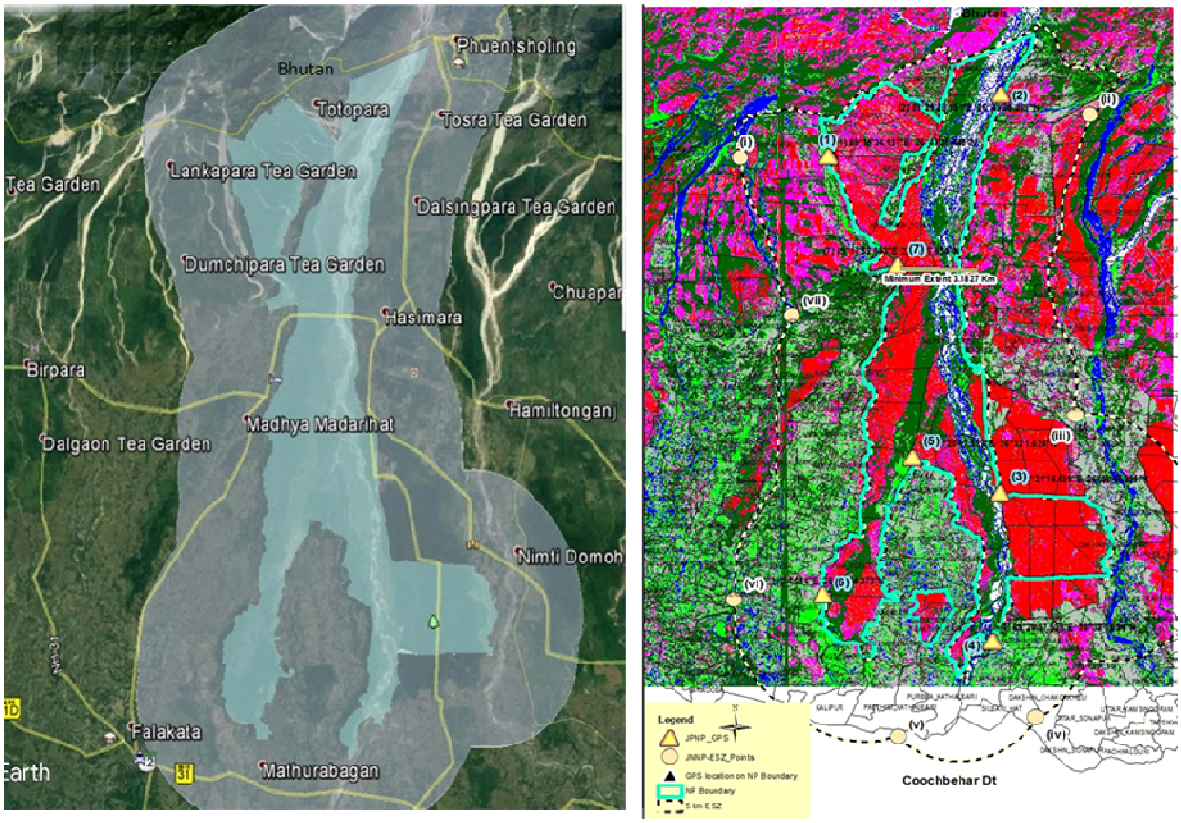

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record:
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.26 14:24:34 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.